

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-625/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.193-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(243)-2022

लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई 2022


**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-855/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(22)-2017 दिनांक 30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, स्तम्भ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6%" रख दी जायेगी।

2. यह अधिसूचना तारीख 18 जुलाई, 2022 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,



(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुखसचिव